कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।

छात्रसंघ निर्वाचन 2023–24

डॉ0 ए0 एम0 पैन्यूली
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मो0न0– 9412008180

Phone/Fax No. 01376234964

प्रो0 पुष्पा नेगी
प्राचार्य
मो0न0– 9997017919

01 / मु0नि0अ0 / छा0सं0नि0 / 2023–24 — दिनांक– 02.11.2023

निर्वाचन अधिसूचना

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी के समस्त नियमित (संस्थागत) छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2023–24 का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है–

पदो का विवरण

1. अध्यक्ष –01 2. उपाध्यक्ष – 01 (छात्राओं के लिए आरक्षित) 3. महासचिव –01 4. सह सचिव– 01 5. कोषाध्यक्ष – 01 6. विश्वविद्यालय प्रतिनिधि –01

कार्यक्रम

1. महाविद्यालय छात्र–संघ अधिसूचना– दिनांक 02.11.2023, बृहस्पतिवार (अपराह्न 04:00 बजे से प्रारम्भ)।
2. नामांकन प्रपत्रों की बिक्री – दिनांक 03.11.2023, शुक्रवार (प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)।
3. नामांकन प्रपत्रों का दाखिला – दिनांक 04.11.2023, शनिवार (प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)।
4. नामांकन वापसी की तिथि – दिनांक 05.11.2023, रविवार (प्रातः 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक)।
5. नामांकन प्रपत्रों की जॉच –दिनांक 05.11.2023,रविवार (मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक)।
6. वैध प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची–दिनांक 05.11.2023, रविवार (अपराह्न 03:00 बजे / जॉचोपरान्त)।
7. मतदान तिथि / समय – दिनांक 07.11.2023, मंगलवार (प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)
8. मतगणना – दिनांक 07.11.2023, मंगलवार को अपराह्न 02:00 बजे से।
9. चुनाव परिणाम की घोषणा – दिनांक 07.11.2023, मंगलवार मतगणना के पश्चात।
10. शपथ ग्रहण – दिनांक 07.11.2023, मंगलवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात।

निर्देश

1. नामांकन पत्र निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित पटल से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. प्रत्याशी तथा उसके प्रस्तावक एवं अनुमोदक को महाविद्यालय का नियमित / संस्थागत छात्र होना आवश्यक है। इस प्रमाण के लिए प्रत्याशी के प्रस्तावक व अनुमोदक स्वयं उपस्थित होकर अपने मूल शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र की छायाप्रति को निर्वाचन समिति द्वारा नियुक्त प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से सत्यापित कराकर नामांकन समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगें।

- महाविद्यालय परिसर में केवल वैध परिचय पत्र वाले छात्र / छात्राओं को आने की अनुमति दी जायेगी।
- मतदान प्रारम्भ होने के 24 घंटे पूर्व समस्त प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होगा।
- चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायेंगे। ऐसा करने पर प्रत्याशी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगें।
- नामांकन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न कर जमा करावायी जानी आवश्यक है। सत्यापन समिति महाविद्यालय में उपलब्ध रहेगी।

Scanned By ScanIt

3. प्रत्याशियों को शुल्क रसीद, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक सेमेस्टर से लेकर सभी कक्षाओं की अंकतालिका एवं जन्मतिथि प्रमाण–पत्र **(हाईस्कूल प्रमाण पत्र)** मूल रूप से दिखानी आवश्यक होगी एवं प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति से सत्यापित प्रतिलिपियाँ नामांकन पत्रों के साथ संलग्न करनी आवश्यक होगी। गैप वर्षो के लिए स्टाम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/पब्लिक नॉटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र **(10 रू0 मूल्य)** में यह घोषणा करनी होगी कि उसने इन वर्षो में क्या किया?

4. नियमों के उल्लंघन करने, अपूर्ण नामांकन पत्र जमा करने (पूर्ण रूप से पूरित न होने पर), पूर्ण हस्ताक्षरित न होने (प्रत्याशी/प्रस्तावक/अनुमोदक के हस्ताक्षर) अथवा पूर्ण सूचना न देने की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द होने पर किसी भी प्रकार की क्षति के लिए प्रत्याशी पूर्णतया स्वयं उत्तरदायी होगें।

5. कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, यदि कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर नामांकन करता है तथा नाम वापसी की अन्तिम तिथि तक अन्य पदों से अपना नाम वापस नहीं लेता है, तो समस्त पदों से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।

6. स्नातक कक्षाओं के प्रत्याशियों की आयु दिनांक 01.07.2023 को 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय या न्यायालय द्वारा दण्डित छात्र/छात्रा, छात्र संघ के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा/सकेगी। उक्त के संबंध में शपथ पत्र रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

8. निर्वाचित छात्र संघ का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2023–24 होगा।

9. एकल विषय वाले छात्र/छात्रा मतदान का प्रयोग नहीं कर सकेगें।

10. लिंगदोह समिति में वर्णित नियम 6.7.5 के अनुसार किसी भी सेमेस्टर में पूर्ण क्रेडिट संख्या से कम होने/शैक्षणिक अवशेष होने पर छात्र/छात्रा किसी भी पद के लिए प्रत्याशी नहीं होगा।

11. लिंगदोह समिति के प्रस्तावित नियम 6.7.5 के अनुसार किसी भी प्रत्याशी एवं उनके कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार की प्रिटेंड सामाग्री, पोस्टर तथा पम्पलेट आदि का प्रयोग करना पूर्णतः वर्जित है।

12. श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के अनुसार चुनाव प्रचार हेतु प्रत्येक प्रत्याशी को रू0 25000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र) से अधिक की धनराशि व्यय करने का अधिकार नहीं होगा अधिक धन व्यय करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द किया जायेगा।

13. प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के अन्दर अपने सम्पूर्ण चुनाव खर्चे का प्रमाणित लेखा–जोखा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।

14. सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया लिंगदोह समिति की संस्तुतियों एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर छात्रसंघ गठन सम्बन्धी संविधान के अधीन सम्पन्न कराई जायेगी।

15. यदि किसी पद के लिए दो प्रत्याशियों के समान मत होते हैं तो विजेता प्रत्याशी का चयन टॉस के द्वारा किया जायेगा और यदि किसी भी पद के लिए दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत मिलते है तो उस स्थिति में लॉटरी (ड्रा) प्रक्रिया अपना कर विजेता घोषित किया जायेगा।

16. लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित प्रत्याशी का नामंकन रद्द कर दिया जायेगा।

17. चुनाव के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा महाविद्यालय परिसर में और परिसर के बाहर जुलूस निकालना, जनसभा करने अथवा प्रचार (लाउडस्पीकर, वाहन और पशुओं का प्रयोग) करने की अनुमति नही होगी।

18. छात्रसंघ में कार्यकारिणी के छः पद महाविद्यालय स्तर पर मनोनयन के आधार पर भरे जायेंगें। जिसके लिए दो छात्र/छात्रायें (एक पद स्नातक तथा एक पद स्नातकोत्तर स्तर पर) महाविद्यालय स्तर पर क्रम से टॉपर हेतु आरक्षित होंगे। दो पद (एक पद स्नातक तथा एक पद स्नातकोत्तर स्तर पर) खेल–कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों हेतु आरक्षित होंगे तथा दो पद (एक पद स्नातक तथा एक पद स्नातकोत्तर स्तर पर)

Scanned By ScanIt

एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/सांस्कृतिक कार्यकलाप आदि में अन्तर महाविद्यालयी, विश्वविद्यालयी, राज्य, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगें।

19. प्रत्याशियों के गतवर्ष की परीक्षा में कोई अवरोध/शैक्षणिक अवशेष नही होना चाहिए।
20. चुनाव प्रचार हेतु प्रत्याशियों द्वारा केवल हस्त निर्मित प्रचार सामाग्री का प्रयोग किया जायें।
21. सभी प्रत्याशियों से इस आशय का अनुबन्ध पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा लिंगदोह समिति के सिफारिशों का पालन किया जायेगा। यदि उनके द्वारा समिति के सिफारिशों का उल्लघन किया जाता है तो उनका चुनाव हेतु नामांकन/चुनाव निरस्त कर दिया जायें।
22. किसी भी स्थिति में ग्रीवांस समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
23. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद हेतु नामांकन शुल्क रू0 2500/- निर्धारित हैं। जबकि नामांकन प्रपत्र शुल्क समस्त पदों हेतु रू0 500/- निर्धारित है।

नोटः- निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों तथा उसके समर्थकों द्वारा आचार संहिता का पालन न करने की स्थिति में उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा नामांकन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निर्वाचन समिति के पास सुरक्षित होगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
2. पुलिस अधीक्षक टिहरी।
3. उप जिलाधिकारी टिहरी।
4. पुलिस उपाधीक्षक टिहरी।
5. थानाध्यक्ष, नई टिहरी।
6. मुख्य शास्ता राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नई टिहरी।
7. अभिसूचना ईकाई (एल0आई0यू0) टिहरी।
8. सूचना पट्ट।
9. ग्रीवांस समिति।
10. सम्पादक/संवाददाता दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दी/अंग्रेजी पंजाब केसरी, ई0टी0वी0, सहारा समय, टी0वी0 100, समाचार प्लस, जैन न्यूज, साधना टी0वी0, जैन टी0वी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को छात्र हित में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में निशुल्क छापने/प्रसारित करने की कृपा करेंगे।

02/11/2023
(प्रो0 पुष्पा नेगी)
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल

02/11/2023
(डॉ0 ए0 एम0 पैन्यूली)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
छात्रसंघ निर्वाचन- 2023-24
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नई टिहरी, टि0ग0।

Scanned By ScanIt